विकास की संभावना है, लेकिन जिनमें संस्थागत ऋण एजेन्सियों द्वारा पर्याप्त रूप से सेवा नहीं की जा रही थी, 48 प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है । गुजरात सहित, देश में अधिक प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना के प्रश्न पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले ही से स्थापित प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के मूल्यांकन हेतु संगठित दांतवाला कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा खरीदे गये कम्बलों और तकियों की कीमत

1501. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1976 से 15 फरवरी, 1978 की अवधि में इंडियन एयरलाइंस ने कितने कम्बल तथा तकिये खरीदे और किन फर्मों से खरीदे तथा प्रत्येक मामले में की गयी ऐसी खरीद का मूल्य कितना है ; और

(ख) यात्री विमानों में उपभोग में लाये गये पुराने कम्बलों तथा तकियों को गत तीन वर्षों के दौरान किन तारीखों को बेचा गया तथा प्रत्येक बार कितने कम्बल और तकिये बेचे गये और क्या कम्बलों और तकियों के अतिरिक्त कोई अन्य चीजें भी बेची गयीं और यदि हां, तो उस से कतनी आय हुई और ऐसी अन्य चीजों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क) और (ख): अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कृषि प्रयोजन के लिये किसानों को दिया गया ऋण

1502. **श्री अमर सिंह वी० रास्वा**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को कृषि प्रयोजन के लिए ऋण दिए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष बैंकों द्वारा प्रत्येक राज्य में बड़े, मध्यम दर्जे और छोटे किसानों को तथा कृषि मजदूरों को क्या ऋण दिये गये ;

(ग) उन्हें ऋण देने की क्या शर्तें हैं; और

(घ) ऋण के लिए कितने लोगों ने आवेदन दिये थे और उन में से कितने को ऋण नहीं दिया गया था और क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) जोत के आधार के अनुसार कृषि ऋणों (प्रत्यक्ष अल्पावधि और सावधिक) के वितरण का ब्यौरा सभा पटल पर रखें गये विवरण में दिया जा रहा है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल टी–1668/88]

(ग) कृषि के वास्ते दिये जाने वाले ऋणों के लिये शर्तें और निर्बन्धन ऋण के

प्रयोजन पर निर्भर होते हैं और अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग हैं, लेकिन आम-तौर पर वे निम्नलिखित हैं :—

	अवधि	ब्याज की दर	सुरक्षा	मार्जिन
1. अल्पावधि ऋण	12 से 15 माह तक	10-1/2 प्रतिशत से 16-1/2 प्रतिशत तक	खड़ी फसल पर प्रभार	शून्य
2. सावधिक ऋण	3 वर्ष (छोटे ऋणकर्त्ताओं के मामले में 5 वर्ष	8-1/2 प्रतिशत से 16/2 प्रतिशत तक	2000/-रु० तक एक या दो व्यक्तियों की जमानत पर 2000/- रु० से ऊपर सम्पत्ति को दृष्टिबंधक रख कर जमीन को गिरवी रख कर जो भी उपलब्ध हो। जहां पर कोई ठोस जमानत उपलब्ध न हो सके, वहां सामूहिक गारंटी ले ली जाती है।	निवेश की लागत 250 प्रतिशत तक।

छोटे सीमांतिक किसानों और भूमिहीन मजदूरों को दिये गये ऋण के मामले में उपर्युक्त शर्तों और निबन्धनों में निम्नलिखित छूट दी जाती हैं :—

(1) ब्याज की दर कम की जाती है, अर्थात् अल्पावधि और सावधिक ऋणों पर क्रमशः 10-1/2 प्रतिशत और 13-1/2 प्रतिशत के बीच और 8-1/2 प्रतिशत और 13-1/2 प्रतिशत के बीच होती है।

(2) भूमि बंधक रखने की जमानत तभी ली जाती है जब कि भूमि उपलब्ध हो और यदि यह उपलब्ध भूमि जमानत के रूप में अपर्याप्त हो तो अन्य प्रकार की जमानतें जसे व्यक्तिगत गारंटी, समूह गारंटी आदि लेकर ऋण प्रदान किया जाता है।

(3) मार्जिन के लिए कोई दबाव नहीं दिया जाता है। जब कभी वाणिज्यिक बैंकों की कृषि पुनर्वित और विकास निगम द्वारा प्रदान की गई पुनर्वित सहायता उपलब्ध होती है, तो इस निगम द्वारा लगाई गई शर्तें और निर्बन्धन मानने पड़ते हैं।

(घ) प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या और उन में से कितनों को ऋण नहीं मिला इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी अस्वीकृत किये जाने के ये कारण हैं :—

(1) ऋणकर्त्ता अपेक्षित औपचारिकतायें पूरी नहीं करता (2) रूचि नहीं लेता और बैंक से सम्पर्क साधने में असफल रहता है (3) अन्य ऋण संस्थाओं की कर्जदारी।